#2019/00499

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

गिर्राज लाल बनाम तहसीलदार बयाना सन् 37/19

किरत मुकदमा धारा 136 LRAct नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
28/8/19	प्रार्थना पत्र धारा 136 LRAct दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट (प्रार्थना पत्र अनुसार) हेतु लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 30/9/19 को पेश हो।	
30/9/19 पक्षकार उपस्थित। तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट अप्राप्त। इन्तजार रिपोर्ट तहसीलदार बयाना पत्रावली दिनांक 10/12/19 को पेश हो। (initials)		
10/12/19	पक्षकार उपस्थित। प्रकरण इन्तजार पत्रावली दिनांक 6/3/20 को पेश हो। (initials)	
6/3/20	पक्षकार उपस्थित। तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट अप्राप्त। इन्तजार तामील, पत्रावली दिनांक 20/5/20 को पेश हो। (initials)	
20/5/20	पीठासीन अधिकारी कोरोना मामले में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/8/20 को पेश हो। (signature) एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	

बकाया एकमान्/कार्य मंत्री

28/11/20 पीठासीन अधिकारी ....है

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/3/21 को पेश हो

रीडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

व्यस्तता में

16/3/21 पीठासीन अधिकारी ....है

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/6/21 को पेश हो

रीडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

रीडर कार्य में

28/6/21 पीठासीन अधिकारी ....है

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/9/21 को पेश हो

रीडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

रीडर कार्य में

21/9/21 पीठासीन अधिकारी ....है

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/12/21 को पेश हो

रीडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

23/12/21 प्रकरण पेश हुआ। एडवोकेट प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार –	नम्बर 3 बीघा 4 बिस्वा 1030/5 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा ख०नं० 06 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख०नं० [illegible] रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख०नं० 09 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ख०नं० 12 रकबा 11 बीघा, ख०नं० 13 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख०नं० 137 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, ख०नं० 138 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, ख०नं० 139 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख०नं० 216 रकबा 14 बिस्वा, ख०नं० 144 रकबा [illegible] बीघा 15 बिस्वा, ख०नं० 140 मिन रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख०नं० 143 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल कीता 14 कुल रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थीगण के नाम बं.हि. बराबर कौम ब्राह्मण बगरी 3 बैल वाके ग्राम गुनसारी तहसील बयाना दर्ज रिकार्ड हैं। जमा० सम्वत 2029-2032 के खाता संख्या 52 पर प्रार्थीगण के हक में सही अंकन था परन्तु हाल भू-बन्दोबस्त सम्वत 2051-2070 के दौरान भू-प्रबन्ध-विभाग द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात पर हमारे पिता खचेरा के स्थान पर खातेदार दर्ज कर दिया है जो गलत है। उक्त गलत इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज होता चला आ रहा है। इस प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उक्त आराजीयात के नवीन ख०नं० भू-प्रबन्ध के दौरान निम्नानुसार बनाए गए हैं। नवीन ख०नं० 29 रकबा 0.17 है। साबिक ख०नं० 130/5 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, नवीन ख०नं० 30 रकबा 0.55 साबिक ख०नं० 1030/5, नवीन ख०नं० 31 रकबा 0.45 है। ख०नं० 32 रकबा 0.21 है, 33 रकबा 0.02 साबिक ख०नं० 3 मिन रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, नवीन ख०नं० 37 रकबा 0.07, 38 रकबा 0.11, साबिक ख०नं० 69 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, नवीन ख०नं० 39 रकबा 0.24 है	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

लगातार –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
लगातार	साबिक ख०नं० 9 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, नवीन ख०नं० 40 रकबा 0.32 है० साबिक ख०नं० 8 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, नवीन ख०नं० 47 रकबा 0.88 है० साबिक ख०नं० 12 रकबा 11 बिस्वा, साबिक ख०नं० 13 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, नवीन ख०नं० 739 रकबा 0.76 है० 741 रकबा 0.75, साबिक ख०नं० 137 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, नवीन ख०नं० 742 रकबा 0.33 है०, ख०नं० 743 रकबा 0.24, 744 रकबा 0.24, साबिक ख०नं० 138 रकबा, 140 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, नवीन ख०नं० 745 रकबा 0.23 है० हैक्टेयर साबिक ख०नं० 140, ~~साबिक~~ नवीन ख०नं० 746 रकबा 0.35 है० 755 रकबा 0.02, 756 रकबा 0.04, 757 रकबा 0.18 है०। साबिक ख०नं० 1439 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, नवीन ख०नं० 758 रकबा 0.04, 763 रकबा 0.48, 764 रकबा 0.16, 765 रकबा 0.05, साबिक ख०नम्बर 144 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, नवीन ख०नं० 1002 रकबा 0.01 है०, 1003 रकबा 0.07 है० 1004 रकबा 0.03 है० साबिक ख०नम्बर 216 रकबा 14 बिस्वा कुल कीता 28 कुल रकबा 7.139 है० साबिक ख०नम्बर कुल कीता 14 कुल रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा बनाए गए हैं। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी संवत् 2051-70 के खाता संख्या 48 बनाते समय हमारे पिता का नाम रणछोड़ के स्थान पर रघुराज अंकित कर दिया है। अतः प्रार्थीगण ने वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता रघुराज के स्थान पर रणछोड़ शुद्ध किए जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना ने प्रशासन	

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार--	गांव के संग अभियान 2021 शिविर स्थल खुशहाल नंगली में अपने पत्रांक/356 दिनांक 9/11/2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। राकेश कुमार, गिर्राजलाल पिसरान याडराम जाति ब्राह्मण बागरी निवासी खुशहालनंगली नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। गिर्राज व राकेश कुमार के पिता का सही नाम खचेरा है। खचेरा प्रार्थीगण के पिता याडराम के स्थान पर खचेरा दर्ज करना उचित है। अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। हमने विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट प्रार्थी को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी सम्वत 2029-2032, 2051-2070, 2075-78, शिविर अभिलेख, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट व प्रार्थी राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की छाया प्रति का गहनता से अध्ययन किया। खाता संख्या 52 जमाबन्दी 2029-2032 में वर्णित खसरा नम्बरान में गिर्राजलाल व राकेशकुमार पिसरान खचेरा न.हि.बराबर कौम ब्राह्मण बागरी में अंकित हैं। दोनों के प्रबन्ध निर्मित 3 बीस अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत 2051-2070 में खाता संख्या 48 में वर्णित खसरा नम्बरान में गिर्राजलाल, राकेश कुमार पि. याडराम न.हि.बराबर कौम ब्रा० बागरी 3 बीस दर्ज अभिलेख हुआ है। यह अंकन बदस्तूर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में चला आ रहा है। लगातार--	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
लगातार--	यही यह सत्य है कि डीलर्स भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम खचेरा के स्थान पर पाडराम दर्ज हुआ है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

आदेश -

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुनधानदी तहसील बयाना के वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 50 में अंकित खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण गिर्राज लाल, राकेश कुमार पुत्रान पाडराम के स्थान पर खचेरा शुद्ध करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भेजी जावे। शेष अंकन बदस्तूर रहे। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)